2024 का हरियाणा विधेयक संख्या.....

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक, 2024

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध)
(हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1957
को निरसित करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

1957 के पंजाब अधिनियम 9 का निरसन।

2. औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1957, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

व्यावृत्ति ।

3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई है;

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम्, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम्, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में या से किसी भी रीति में अभिपुष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो;

न ही इस अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरूजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि औद्योगिक विवाद (संशोधन और विविध प्रावधान) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1957 को अब राज्य में लागू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, उपरोक्त औद्योगिक विवाद (संशोधन और विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन अधिनियम, 2024, जोकि, औद्योगिक विवाद (संशोधन और विविध उपबन्ध) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1957 को निरसित करने से सम्बन्धित है, कोइ सविधेयक द्वारा निरसित किया जाता है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

(अनूप धानक)
श्रम राज्यमंत्री, हरियाणा